न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 38/2014

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर		सुमेरसिंह पुत्र तारासिंह जाति राजपुरोहित निवासी सिणधरी जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ा) एवं धारा 51 व 64 खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से
2. श्री विष्णू चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 27.6.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.10.2014 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन मै0 गुरूदेव मिष्ठान भण्डार सिणधरी दोपहर 2.00 बजे पहुॅचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। नाम पता पूछने पर अपना नाम सुमेरसिंह पुत्र तारासिह जाति राजपुरोहित निवासी सिणधरी बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स सुमन गुरूदेव मिष्ठान भण्डार सिणधरी का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ लोहे के थाल में लगभग 5 किलोग्राम कलाकंद मिठाई आम जनता को विक्रय करने हेतु पाई गई। कलाकंद में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त लोहे के थाल में से आधा–आधा किलोग्राम कुल दो किलोग्राम 600/– रूपये नकद भुगतान कर खरीदी। उक्त कलाकंद मिठाई को चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियॉ में बराबर मात्रा में भरा गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40–40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विकेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.370

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिरट्रेट बाड़मेर

चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–370 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील लगाई गई, जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सीलं कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ कलाकंद नमूना पी–370 की जॉच रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा लेब जोधुपर के क्रमांक एलएस/एलएस/573/एक्ट/2015/597 दिनांक 30.10.2014 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना पी.370 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ कलांकद मिठाई का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द,

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

नमूना पी. 370 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से श्री विष्णू चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए। जिन्होने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना आरोपित कर कराने का निवेदन किया।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 10.10.2014 को निरीक्षण के दौरान् मैसर्स गुरूदेव मिष्ठान भण्डार सिणधरी पहुॅचने पर दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में लगभग 5 किलोग्राम कलांकद मिठाई आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई पाई गई। कलांकद में मिलावट होने का सन्देह होने पर नियमानुसार नमूना लिया जाकर उसकी जांच करवाई गई। जांच के दौरान कलांकद का नमूना पी. 370 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/573/एक्ट/2015/597 दिनांक 30.10.2014 के अनुसार अप्रार्थी की कलाकंद मिठाई का नमूना पी.370 जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सुमेरसिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत पाये गये कलांकद मिठाई का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी सुमेरसिंह पर 5000/–अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 27.06.2016 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर

निर्णय आज दिनांक 27.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर